रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264875 CG-DL-E-22072025-264875

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3274]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ़ 30, 1947
No. 3274]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947

## श्रम और रोजगार मंत्रालाय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2025

का.आ. 3347(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध उत्तर प्रदे"। राज्य के बांदा जिले के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,—

- (i) धारा 38 से धारा 43;
- (ii) धारा 45क से धारा 45ज;
- (iii) धारा 46 से धारा 75;
- (iv) धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- (v) धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं.एस—38013 / 02 / 2025—एसएस-l] डॉ. महेंद्र क्मार, संयुक्त सचिव

4877 GI/2025 (1)

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2025

**S.O.** 3347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 2025, as the date on which the following provisions of the said Act, shall come into force in all areas of the district of Banda in the State of Uttar Pradesh, namely:—

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 75;
- (iv) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (v) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/02/2025-SS-I] Dr. MAHENDRA KUMAR, Jt. Secy.